



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त 1. बुद्ध सिंह पुत्र हुब्बे 2. नारायण सिंह पुत्र प्रभु दयाल नि० ग्राम धंजा थाना रेंडर जनपद जालौन द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना रेडर में मु०अ०सं० 168/2020 (वाद संख्या – 116/2021) धारा 323/504/34 भादवि व 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 27.11.2023 को मा० न्यायालय एडीजे, स्पे० एससी/एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. बुद्ध सिंह 2. नारायण सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4-4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र
भदौरिया



कोर्ट पैरोकार कृष्ण चंद्र मिश्र

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice